न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/08/2025	2025/61	30.01.2025	14.05.2025

1– खुशीराम पुत्र नत्थूराम जाति ब्राहम्ण,

2– कमला उर्फ कमलेश शर्मा पुत्री नत्थूराम जाति ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

(अपीलान्ट)

बनाम

1/1– नन्दलाल पुत्र देवद्वत जाति ब्राहम्ण,

2/2– रधुवीर पुत्र देवद्वत जाति ब्राहम्ण, (मृतक)

1/2/1– पिस्ता देवी स्त्री रधुवीर जाति ब्राहम्ण,

1/2/2– संजय रधुवीर जाति ब्राहम्ण,

1/2/3– किरण पुत्री रधुवीर जाति ब्राहम्ण,

1/2/4– अनिता पुत्री रधुवीर जाति ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

1/3– मुन्नी स्त्री बाबूलाल पुत्रवधु देवद्वत जाति ब्राहम्ण,

1/4– निशा पुत्री बाबूलाल पौती देवद्वत जाति ब्राहम्ण,

1/5– कृष्ण पुत्र देवद्वत जाति ब्राहम्ण,

1/6– बिमला देवी स्त्री देवद्वत जाति ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

7– तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर नामान्तकरण संख्या 1120 वाके ग्राम शामदा निर्णय दिनाक 27.01.2003 जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान) जिसके द्वारा बेजा खिलाफ कानून नामान्तकरण विरासत नन्थूराम पुत्र हरनारायण के बाबत रेस्पोडेन्ट के पिता/पति देवीदत्त के पक्ष में स्वीकार किया गया है।

उपस्थित–

01. श्री रामेश्वर दयाल – वकील अपीलान्ट

02.कु0 सुषमा शर्मा – वकील रेस्पोडेन्ट

–: निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1120 निर्णय दिनांक 27.01.2003 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विचाराधीन उनवानी अपील में अपीलान्ट खुशीराम पुत्र स्व0 नत्थूराम जाति ब्राहम्ण निवासी शामदा तहसील मुण्डावर द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के समक्ष तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 27.01.2003 नामान्तकरण संख्या 1120 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर के विरूद्ध पेश की गयी। न्यायालय द्वारा विधिवत

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

जायदाद है। अपीलान्टान भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची के

सुनवाई कर दिनाक 31.12.2003 को अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर तहसीलदार मुण्डावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गाया था कि अपीलान्ट को साक्ष्य व सबूत का मौका दिया जाकर/ वसीयत का परिक्षण कर नये सिरे से पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय दिनाक 31.12.2003 के विरूद्व अन्य पक्षकारान प्रकरण में वर्णित आराजी के खरीददार कमशः प्रभाती वगै0 के द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील पेश की गयी। प्रस्तुत प्रकरण में माननीय न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 28.07.2008 के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.12.2003 को निरस्त किया गया है, तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 17.07.2004 भी निरस्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलार्थीगण की भी सुनवाई करे, तत्पश्चात विधि के प्रावधानो के अनुसार निर्णय पारित करे। वर्तमान में खैरथल–तिजारा नव सर्जित जिला हो जाने के कारण तहसील क्षेत्र मुण्डावर के राजस्व प्रकरणो में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को होने के कारण, माननीय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 28.07.2008 की पालना में वकुलाय की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरणर संख्या 1120 दिनाक 23.09.1995 वसीयतनामा को आधार मानते हुऐ रेस्पोडेन्टान के पिता/पति देवद्वत के पक्ष में दिनाक 27.01.2003 को स्वीकार किया गया है। जबकि मिन अपीलान्टान व रेस्पोडेन्टान के पिता/पति देवद्वत के पिता नत्थूराम पुत्र हरनारायण का स्वर्गवास दिनाक 25.12.1993 को हुआ है, ऐसी सूरत में जब नत्थूराम का स्वर्गवास दिनाक 25.12.1993 को हो गया तो उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता/पति के पक्ष में वसीयत दिनाक 23.09.1995 को करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, और नत्थूराम द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत रेस्पोडेन्टान के पिता/पति के पक्ष में नही की वसीयतनामा फर्जी व नुमायशी तैयार किया गया है। लेकिन तहत अदालत द्वारा बिना कोई ध्यान दिये ही रेस्पोडेन्टान के पिता/पति से साज–बाज होकर संदिग्ध वसीयतनामा दिनाक 23.09.1995 को आधार मानते हुऐ नामान्तकण स्वीकार किया गया है। तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व जरा भी स्वविवेक से काम नही लिया गया। और खिलाफ कानून व मौका वसीयत के आधार मानते हुऐ नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण की कार्यवाही विधिक वारिसान के नाम बाद जॉच हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत बराबर तस्दीक होना चाहिये था। रेस्पोडेन्टान के पिता/पति द्वारा फर्जी वसीयतनामा जिसका रजिस्ट्रेशन दिनाक 23.09.1995 को करवाया गया है, जबकि नत्थुराम पुत्र हरनारायण का स्वर्गवास दिनाक 25.12.1993 को हो गया तो उसके द्वारा रेस्पोडेन्टान के पिता/पति के पक्ष में वसीयत दिनाक 23.09.1995 करने का प्रश्न ही नही होता जो इस बात को साबित करता है, कि मृत्यू पश्चात वसीयतनाम रजिस्ट्रड नही हो सकता है। अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्टान को पूर्व में नही थी, दिनाक 19.08.2003 को रेस्पोडेन्टान के पिता/पति ने हम अपीलान्टान के कब्जे काश्त की आराजी में मजाहमत की और जाहिर किया की नत्थूराम मिन अपीलान्टान व रेस्पोडेन्टान के पिता/पति की समस्त आराजी रेस्पोडेंन्टान के पिता/पति के नाम नामान्तकरण दर्ज होकर हो चुकी है, और वह आराजी को रहन बय हिबय आदि के दीगर लोगो को हस्तान्तरित करेगा, और हम अपीलान्टान की आराजी में काश्त नही करने देगा, इस पर बाद मालूमात अपीलान्टान ने तहसील मुण्डावर में आकर दिनाक 19.08.2003 को ही नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल उसी दिन तैयार होकर सांयकाल मिली इसके बाद मिन अपीलान्टान ने अभिभाषक से कानूनी सलाह मशवरा प्राप्त की गयी। सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 19.08.2003 को नामान्तकरण संख्या 1120 निर्णय दिनाक 27.01.2003 तहसीलदार मुण्डावर की जानकारी हुई जहा आदेश एकदम शून्य व अवैध हो वहॉ मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है। रफाय हुज्जत के लिए दिनाक 27.01.2003 से दिनाक 19.08.2003 तक के दिन मयाद में मुजरा दिये

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

जाकर अपील अन्दर अवधि ग्रहण कर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रसर होने योग्य है। इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्टान अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। विद्वान वकील अपीलान्टान द्वारा माननीय न्यायालयो की निम्नलिखत नजिरे पेश की गयी। कमशः आर.आर.डी 1996 पेज संख्या 587–589, आर.आर.डी 14.01.2011 पेज संख्या 31–32, आर.आर.टी 2023(1) पेज संख्या 577, आर.आर.टी 2018(2)

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है कि अपीलान्टान द्वारा पेश अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा रेस्पोडेन्टान के पिता/पति के पक्ष में वसीयत के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। मृतक नत्थूराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही रेस्पोडेन्टान के पिता/पति के पक्ष में खातेदारी भूमि वसीयत की गयी है, तथा अपीलान्टान को दिल्ली में स्थित जायदाद को दिया गया है। मृतक द्वारा की गयी वसीयत में अपीलान्टान स्वयं उपस्थित थे, और अपने हस्ताक्षर किये हुऐ है। हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धाराओ के तहत मृत्यू पश्चात वसीयत को पंजीयन करवाया गया है। अपील अपीलान्टान सारहीन है, खारिज की जावे।

उनवानी प्रकरण में प्रभाती पुत्र मूलाराम जाति गुर्जर निवासी तेजपुर वगै0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 रूल 10 पेश कर उक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का पेश किया गया है, प्रार्थीयान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया गया है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी में प्रार्थीयान का हित निहित है। प्रार्थीयान आराजी के खरीददार खातेदार है, प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीयान को सुनवाई का अवसर दिया जावे। प्रार्थीयान की और से वकालतनामा पेश किया हुआ है, जो पत्रावली में शामिल मिशल है, किन्तु वक्त बहस प्रार्थीयान/उनके अभिभाषक उपस्थित नही हुऐ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकुलाय की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनाक 27.01.2003 के विरूद्व दिनाक 22.08. 2003 को पेश की गयी है, जो करीब 8 माह पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है, हम अपील का निस्तारण केवल दफा 5 को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है। हम अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर विधिवत निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। विद्वान वकील अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1120 दिनाक 23.09.1995 वसीयतनामा को आधार मानते हुऐ रेस्पोडेन्टान के पिता/पति देवव्रत के पक्ष में दिनाक 27.01.2003 को स्वीकार किया गया है, जबकि मिन अपीलान्टान व रेस्पोडेन्टान के पिता/पति देवव्रत के पिता नत्थूराम पुत्र हरनारायण का स्वर्गवास दिनाक 25.12.1993 को हुआ है, ऐसी सूरत में जब नत्थूराम का स्वर्गवास दिनाक 25.12.1993 को हो गया तो उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट के पिता/पति के पक्ष में वसीयत दिनाक 23.09.1995 को करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, और नत्थूराम द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयत रेस्पोडेन्टान के पिता/पति के पक्ष में नही की वसीयतनामा फर्जी व नुमायशी तैयार किया गया है। रेस्पोडेन्टान के पिता/पति से साज–बाज होकर संदिग्ध वसीयतनामा दिनाक 23.09.1995 को आधार मानते हुऐ नामान्तकण स्वीकार किया गया है। नामान्तकरण की कार्यवाही विधिक वारिसान के नाम बाद जॉच हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत बराबर–बराबर तस्दीक होना चाहिये था। विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान का मुख्य कथन है, कि अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा रेस्पोडेन्टान के पिता/पति के पक्ष में वसीयत के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। मृतक नत्थूराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही रेस्पोडेन्टान के पिता/पति के पक्ष में खातेदारी भूमि वसीयत की गयी है, तथा अपीलान्टान को दिल्ली में स्थित

जिला कलक्टर
जिला ...

जायदाद को दिया गया है। मृतक द्वारा की गयी वसीयत में अपीलान्टान स्वयं उपस्थित थे, और अपने हस्ताक्षर किये हुऐ है। हमारे द्वारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धाराओ के तहत मृत्यू पश्चात वसीयत को पंजीयन करवाया गया है। जहा तक प्रश्न अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1120 वाके ग्राम शामदा का है, तहत अदालत द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तकरण का निर्णय पारित किया गया है, जबकि पटवारी हल्का के द्वारा उक्त नामान्तकरण मृतक नत्थूराम के विधिक वारिसान का शजरा विवादित नामान्तकरण की पुष्ट में अंकित किया गया है। लेकिन यहा विवाद मृतक नत्थूराम के वारिसानो को लेकन नही है। हर दो पक्ष द्वारा वारिस के बिन्दू पर कोई आक्षेप नही किया गया है। मुख्या विवाद का बिन्दू रेस्पोडेन्टान के पिता/पति द्वारा वसीयत फर्जी रूप से तैयार की गयी है, और अपीलान्टान को जो कि मृतक का जायज वारिस है, को सुना नही गया है। अपीलाधीन आदेश का आधार यह वसीयत ही है। अपीलान्टान मृतक नत्थुराम के जायज वारिस है, तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत सभी वारिसान का मृतक की सम्पति में बैहिस्से बराबर–बराबर का हक होता है, यदि यह मान लिया जावे, कि मृतक रेस्पोडेन्टान के पिता/पति के पक्ष में वसीयत की है, तो भी तहत अदालत को यह चाहिए कि वह निर्णय पारित करने से पूर्व मृतक के विधिक वारिसानो की विधिवत जॉच कर सुनवाई का अवसर व साक्ष्य सबूत का अवसर दिया जाना चाहिए था। किन्तु प्रकरण की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही हुआ है, जिससे यह साबित होता हो की तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व विधिक वारिसान को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया गया हो। प्राकृतिक नैसर्गिक सिद्वान्त भी है, कि हितबद्व व्यक्तियो को सुनवाई का अवसर दिया जावे। अपीलान्टान का यह तर्क भी है, कि वसीयत दिनाक 23.09.1995 की है, जबकि मृतक नत्थूराम की मृत्यू दिनाक 25.12.1993 को हो चुकि थी। इस आधार पर भी वसीयत फर्जी रूप से तैयार की गयी है, यह निर्विवाद सत्य है, कि मृतक नत्थूराम की मृत्यू दिनाक 25.12.1993 को हुई है। वसीयत का अवलोकन करने से जाहिर है, कि वसीयत दिनाक 19.12.1993 को लिखना पाया जाता है, तथा रेस्पोडेन्टान के पिता/पति द्वारा यह वसीयत को अपने पिता की मृत्यू के पश्चात दिनाक 23.09.1995 को पंजिबद्व किया जाना पाया जाता है। इस तथ्य पर विचार करने पर वसीयत का महत्व जितना बिना पंजियन के है, उतना ही पंजीयन के पश्चात भी होता है। यहा पर रेस्पोडेन्टान के पिता/पति द्वारा मृत्यू के पश्चात पंजीयन कराया जाना उसकी शंका को जाहिर करता है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 27.01.2003 नामान्तकरण संख्या 1120 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार मुण्डावर को प्रतिप्रेषित की जाती है, कि मृतक नत्थूराम के विधिक वारिसान की जॉच कर उन्हे सुनवाई व साक्ष्य/सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे साथ ही प्रकरण में पेश की गयी वसीयत का परीक्षण कर नये सिरे से अधिकतम 2 माह में पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 27.01.2003 नामान्तकरण संख्या 1120 वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा